



2026:AHC:169237

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27307 वर्ष 2026

गुल खान

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., सुदर्शन सिंह

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री आशुतोष, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री सुदर्शन सिंह और राज्य की ओर से एजीए-1 डॉ. एस.बी. मौर्य की बातें सुनी गईं।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 205/2025 (पुलिस थाना फरीदपुर, ज़िला बरेली) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है। यह मामला बीएनएस की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 3(5), 103(1), 61(2) के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम तो है, लेकिन उसके साथ आठ और लोगों के नाम भी शामिल हैं। सभी आरोपियों पर सिर्फ गोली चलाने की सामान्य भूमिका का आरोप लगाया गया है। इससे पहली नज़र में लगता है कि आवेदक बेगुनाह है और पुरानी दुश्मनी की वजह से ही उसे इस मामले में दूसरों के साथ आरोपी बनाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उनका यह भी कहना है कि कथित घटना में दो लोगों की मौत हुई, लेकिन शव परीक्षण आख्या से पता चलता है कि उन्हें कुल पाँच गोलियाँ लगी थीं। इसलिए, पहली नज़र में यह मामला ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को फँसाने का लगता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी।
5. वे आगे कहते हैं कि मामले के शिकायतकर्ता, जिन्होंने खुद को चश्मदीद गवाह बताया था, उनसे विचारण न्यायालय में पूछताछ की गई थी। विचारण न्यायालय में दर्ज उनके बयान से पता चलता है कि वे चश्मदीद गवाह नहीं थे।
6. वे आगे कहते हैं कि मामले के सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, सह-आरोपी गुलाम ख्वाजा (जिसका नाम आवेदक के साथ प्राथमिकी में था) को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। उसका ज़मानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ-167 पर लगा है और आवेदक का मामला भी उसी के समान है।
7. वे आगे कहते हैं कि इस मामले के अलावा आवेदक का एक और आपराधिक इतिहास है, लेकिन उस मामले में वह ज़मानत पर है। वे यह भी बताते हैं कि इस मामले में आवेदक 28.04.2025 से, यानी एक साल से ज़्यादा समय से जेल में है।
8. वे आगे कहते हैं कि मामले के तथ्यों को देखते हुए, आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।
9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और कहा कि यह दोहरे हत्याकांड का मामला है। आरोप के अनुसार, आवेदक और आठ अन्य लोगों ने गोलीबारी की, जिससे दोनों मृतकों को चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। शव परीक्षण आख्या से साफ़ है कि उन्हें कई गोलियाँ लगी थीं, इसलिए प्रथम दृष्टया यह मामला बेवजह फँसाने का नहीं लगता।
10. वे आगे कहते हैं कि मुकदमे के दौरान मामले के शिकायतकर्ता से पूछताछ की गई थी और उसके बयान से ऐसा नहीं लगा कि वह चश्मदीद गवाह नहीं था। वे आगे कहते हैं कि शिकायतकर्ता के अलावा कई अन्य चश्मदीद गवाह भी हैं और अब तक विचारण न्यायालय के सामने उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है।



11. वे आगे कहते हैं कि हालांकि, सह-आरोपी गुलाम ख्वाजा की ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय की एक पीठ ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन सह-आरोपी शमशेर खान और अनीस की ज़मानत प्रार्थना-पत्रों को इस न्यायालय की दूसरी पीठ ने क्रमशः 08.12.2025 और 16.10.2025 के आदेशों द्वारा खारिज कर दिया था (ये आदेश आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 43155/2025 और 33355/2025 में पारित किए गए थे)।

12. वे आगे कहते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि अब तक सभी चश्मदीद गवाहों से पूछताछ नहीं हो पाई है, पूरी संभावना है कि ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

13. वे आगे कहते हैं कि इसलिए, मामले के तथ्यों को देखते हुए, इस ज़मानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किया जा सकता है।

14. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख को देखा है।

15. यह दोहरे हत्याकांड का मामला है और प्राथमिकी में आवेदक का नाम है। प्राथमिकी के अनुसार, उसने आठ अन्य लोगों के साथ मिलकर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे दो लोगों को चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। दोनों मृतकों की शव परीक्षण आख्या से भी पता चलता है कि उन्हें कई गोलियां लगी थीं। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि यह मामला बेवजह फंसाने का है।

16. इसके अलावा, आवेदक के अधिवक्ता के अनुसार, विचारण न्यायालय के सामने दर्ज शिकायतकर्ता के बयान से पता चलता है कि वह चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन इस न्यायालय का मानना है कि विचारण न्यायालय के सामने दर्ज शिकायतकर्ता के बयान पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और केवल विचारण न्यायालय ही विचारण के दौरान साक्ष्यों पर विचार कर सकता है।

17. इसके अलावा, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि शिकायतकर्ता के अलावा कई चश्मदीद गवाह भी हैं और अब तक उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है।

18. साथ ही, सह-आरोपी गुलाम ख्वाजा की ज़मानत प्रार्थना-पत्र को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन 01.05.2026 के ज़मानत आदेश से पता चलता है कि आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद बिना कोई कारण बताए उसे ज़मानत पर रिहा



कर दिया गया था। इसके अलावा, विधि यह भी कहती है कि समानता का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं होता है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, न्यायालय अलग नज़रिया अपना सकता है।

19. इसके अलावा, इस न्यायालय की एक दूसरी पीठ ने सह-आरोपी शमशेर खान और अनीस की ज़मानत प्रार्थना-पत्र खारिज कर दी थी, और यह बात सामने आई है कि आवेदक गुलाम ख्वाजा के अधिवक्ता ने इस न्यायालय की उस पीठ के सामने यह तथ्य नहीं बताया था; इसलिए, इससे यह भी पता चलता है कि सह-आरोपी गुलाम ख्वाजा ने ज़रूरी तथ्यों को छिपाकर ज़मानत हासिल की थी।

20. साथ ही, हालांकि आवेदक अप्रैल 2025 से यानी एक साल से ज़्यादा समय से जेल में है, लेकिन यह मामला अंधाधुंध गोलीबारी का है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, आवेदक पर हत्या का मुकदमा चल रहा है जिसमें कम से कम सज़ा आजीवन कारावास है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस न्यायालय की राय में, केवल आवेदक के एक साल से ज़्यादा समय से जेल में रहने के आधार पर उसे ज़मानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

21. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

22. इस प्रकार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र खारिज की जाती है।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के संबंध में पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

12 अगस्त, 2026

एके पाण्डेय